सं०: डब्ल्यू-11013/15/2013-एनबीए
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एनबीए प्रभाग

12वॉ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक: 04/06/2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव, प्रभारी-ग्रामीण स्वच्छता
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलना।
संदर्भ: इस मंत्रालय के पत्र सं० डब्ल्यू-11013/5/1999-सीआरएसपी दिनांक 19.10.2012 और 5.12.2012, सं० डब्ल्यू 11013/02/2013-एनबीए दिनांक 18/2/13, 15/3/2013,2/4/2013 और 4/6/2013 तथा समसंख्यक दिनांक 6/11/2013

महोदय/महोदया,

मैं आपका ध्यान इस मंत्रालय के पत्र सं०: डब्ल्यू-11013/02/2013-एनबीए दिनांक 15 मार्च, 2013 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसके द्वारा राजयों/संघ राज्य क्षेत्रों से निवेदन किया गया था कि वे अस्वच्छ शौचालयों , जिनमें लोगों द्वारा मल को हटाया जाता है, शौचालय जिनमें मल को खुले नाले में डिस्पोज किया जाता है, और शौचालय जिनमें मल का पशुओं द्वारा (सफाई) सर्विस की जाती है, का सर्वेक्षण पूरा करे और इनकी पहचान करें। अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करने के बाद ऐसे सभी अस्वच्छ शौचालयों को सभी पात्र मामलों में एनबीए दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अधीन स्वच्छ शौचालयों में बदलने की आवश्यकता है। हमारे निदेशों के अनुपालन में आपके राज्य द्वारा प्रेषित आंकड़ों के अनुसार पाए गए अस्वच्छ शौचालयों एवं इन्हें बदले गए स्वच्छ शौचालयों की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

2. ''हाथ से सफाई करने वालों की भर्ती पर प्रतिबंध एवं उनका पुनर्वास से संबंधित अधिनियम 2013'' के लागू होने के बाद इस अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के अनुसार अस्वच्छ शौचालय को परिभाषित करने के लिए निर्मल भारत अभियान(एनबीए) के दिशा-निर्देशों में समसंख्यक का०ज्ञा० दिनांक 12/2/2014 द्वारा संशोधन किया गया है, प्रतिलिपि मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ''हाथ से सफाई करने वालों की भर्ती पर प्रतिबंध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013'' की धारा 4(1)(ए) के अनुसार ''प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण'' इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो महीने में यथा निर्धारित तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करने और ऐसे अस्वच्छ शौचालयों की एक सूची प्रकाशित करेने के लिए उत्तरदायी है।

अत: उपरोक्त एनबीए कार्यक्रम के कार्यान्यन से संबंधित हमारे प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन में अस्वच्छ शौचालयों के किए गए सर्वेक्षण, पहचान और प्रतिस्थापन के अतिरिक्त एनबीए कार्यक्रम से संबंद्ध जिला/स्थानीय अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए जाएँ कि वे वर्तमान एनबीए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी योग्य मामलों के एनबीए स्रोतों का उपयोग करते हुए ''स्थानीय प्राधिकारियों'' द्वारा पता लगाए गए अस्वच्छ शौचालयों की सूची प्राप्त करने और ऐसे अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने के लिए ''हाथ से सफाई करने वालों की भर्ती पर प्रतिबंध एवं उनके पुनर्वास से संबंधित अधिनियम 2013'' के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी ''स्थानीय प्राधिकरण'' के साथ समन्वयन स्थापित करें। यदि आवश्यक हों एनबीए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक स्वच्छता कांपलैक्सों का निर्माण भी करें जिससे खुले में शौच करने की समस्या को दूर किया जा सके।

भवदीय
(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव(स्वच्छता)

संलग्न:- उपरोक्त अनुसार
प्रतिलिपि:

1. सचिव, (डीडब्ल्यूएस)के पीपीएस
2. राज्य समन्वयक, एनबीए
   सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
3. तक०नि०(एनआईसी)
4. सूचनार्थ प्रति:- श्री संजीव कुमार
   संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

Nirmal Bharat Abhiyan(NBA)

Status of Conversion of Insanitary Latrines into Sanitary Latrines as reported by the States on the Online Monitoring System of MoDWS

S.N.	State	Total No. of GPs	No. of GPs survey done	% GPs survey done	Households with Night soil removed by human			Households with Night soil disposed into open drain			Households with Night soil serviced by animal		
					No. of HHs found during the survey	No. of such Latrines converted into Sanitary Latrines	% Conversion	No. of HHs found during the survey	No. of such Latrines converted into Sanitary Latrines	% Conversion	No. of HHs found during the survey	No. of such Latrines converted into Sanitary	% Conversion
1	ANDHRA PRADESH	21620	1087	5.03	0	0	0	1	1	100	0	0	0
2	ARUNACHAL PRADESH	1764	318	18.03	0	0	0	670	39	5.82	631	0	0
3	ASSAM	3952	695	17.59	0	0	0	269	3	1.12	39107	0	0
4	BIHAR	8404	135	1.61	128	128	100	0	0	0	0	0	0
5	CHHATTISGARH	9726	9683	99.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	D & N HAVELI	12	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	GOA	190	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	GUJARAT	13592	12086	88.92	0	0	0	4	1	25	1	0	0
9	HARYANA	6081	1090	17.92	23	23	100	169	169	100	16	16	100
10	HIMACHAL PRADESH	3243	3231	99.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	JAMMU & KASHMIR	4123	1	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	JHARKHAND	4437	4434	99.93	82	82	100	0	0	0	0	0	0
13	KARNATAKA	5630	5629	99.98	38	38	100	1596	1596	100	1747	1747	100
14	KERALA	978	740	75.66	0	0	0	1131	502	44.39	0	0	0
15	MADHYA PRADESH	22975	22964	99.95	262	262	100	141	141	100	0	0	0
16	MAHARASHTRA	27885	27851	99.88	39	39	100	140	140	100	0	0	0
17	MANIPUR	2935	2	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	MEGHALAYA	5604	5564	99.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MIZORAM	718	587	81.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	NAGALAND	1110	1110	100.00	198	198	100	159	159	100	92	92	100
21	ORISSA	6236	1211	19.42	1	1	100	2	2	100	0	0	0
22	PUDUCHERRY	71	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	PUNJAB	12826	12826	100.00	0	0	0	1	1	100	0	0	0
24	RAJASTHAN	9176	8805	95.96	36	36	100	299	69	23.08	197	38	19.29
25	SIKKIM	176	165	93.75	0	0	0	42	42	100	0	0	0
26	TAMIL NADU	12524	12523	99.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TRIPURA	541	534	98.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	UTTAR PRADESH	51887	46436	89.49	151980	79356	52.21	5904	4668	79.07	123	123	100
29	UTTARAKHAND	7518	7518	100.00	1242	736	59.26	70	8	11.43	0	0	0
30	WEST BENGAL	3349	3260	97.34	55	55	100	0	0	0	0	0	0
		249283	**190485**	76.41	**154084**	**80954**	**52.54**	**10598**	7541	71.2	**41914**	**2016**	**4.81**